

उत्तर प्रदेश विधान सभा
की
प्राक्कलन समिति
की
आन्तरिक कार्य-प्रणाली के नियम



विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा
की
प्राक्कलन समिति
की
आन्तरिक कार्य प्रणाली
के
नियम

(दिनांक 21 फरवरी, 2017 तक यथा संशोधित)



विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश,
समिति (वित्त) अनुभाग-2,
2017

विषय-सूची

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1-प्राक्कथन	क-ख
2-समिति की आन्तरिक कार्य प्रणाली के नियम	1-5
3-परिशिष्ट-	
(1) समिति का उद्भव तथा उद्देश्य	6-8
(2) समितियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित सामान्य नियम	9-17
(3) प्राक्कलन समिति सम्बन्धी विशिष्ट नियम	18
(4) प्राक्कलन समिति के माननीय सभापतियों की सूची	19-21
(5) प्राक्कलन समिति द्वारा वर्ष 1952 से दिसम्बर, 2016 तक सदन में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों का विवरण	22-44

प्राक्कथन

भारत के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि बिना विधायिका की अनुमति के कार्यपालिका द्वारा न तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और न ही कोई धन खर्च किया जा सकता है। इस हेतु विधायिका की अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यपालिका प्रतिवर्ष अपनी आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है जिसे सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है। इस विवरण पर यद्यपि विधान सभा में काफी समय तक विचार किया जाता है परन्तु विवरण की गूढ़ता, उसके विस्तृत स्वरूप तथा उसके तकनीकी पहलुओं को देखते हुये यह समय पर्याप्त नहीं होता। अतः कार्यपालिका द्वारा किये जाने वाले व्यय पर विधायिका का प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से भारत में समिति प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अन्तर्गत लोक सभा में वर्ष 1950 में प्रथम बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्राक्कलन समिति का सर्वप्रथम 5 सितम्बर, 1952 को गठन किया गया था। इससे पूर्व यहां भी एक स्थायी वित्त समिति थी जो वर्ष 1922 से गठित की गयी थी। यह स्थायी समिति भी शासन की सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती थी। इसे 1958 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 1958 को लागू करके औपचारिक रूप से समाप्त किया गया। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 231 के अन्तर्गत ऐसे प्राक्कलनों के परीक्षण के लिये, जो समिति को ठीक प्रतीत हो या उसे सदन द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायं का परीक्षण करने हेतु प्राक्कलन समिति गठित किये जाने का प्राविधान है। यद्यपि इतने समय से प्राक्कलन समिति हमारे प्रदेश की विधान सभा में कार्यरत है परन्तु इसके आन्तरिक कार्य प्रणाली के नियमों को वर्ष 1988 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। प्राक्कलन समिति वर्ष 1987-88 ने अपनी विभिन्न बैठकों में इसके आन्तरिक कार्य प्रणाली के नियमों पर विचार किया तथा दिनांक 20-4-88 की अपनी बैठक में इनको स्वीकार किया। तदुपरान्त उक्त नियमावली में कुछ शाब्दिक संशोधन प्रस्तावित किये गये जिन्हें प्राक्कलन समिति वर्ष 1988-89 ने अपनी दिनांक 22-8-89 की बैठक में अनुमोदित किया।

ख

मा0 अध्यक्ष, विधान सभा का अनुमोदन उक्त नियमावली पर दिनांक 30-9-1989 को प्राप्त किया गया। प्राक्कलन समिति के मा0 सदस्यों के प्रयोगार्थ इस समिति के आन्तरिक कार्य प्रणाली के नियमों का प्रकाशन आवश्यक समझा गया। प्रस्तुत पुस्तिका में इस समिति के क्रियाकलापों, इसके गठन तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर भली-भांति प्रकाश डाला गया है। इसमें प्राक्कलन समिति के माननीय सभापतियों की सूची एवं समिति द्वारा वर्ष 1952 से दिसम्बर, 2016 तक सदन में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों का विवरण भी दिया गया है। आशा है यह प्रकाशन मा0 सदस्यों के प्रयोगार्थ लाभप्रद सिद्ध होगा।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2017

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली नियमावली

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 231 तथा 232 के साथ पठित नियम 218(2) के अनुसरण में निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं :--

1-(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली नियमावली, 1988" कहलायेगी। संक्षिप्त नाम

(2) यह नियमावली, दिनांक 30-9-89 से प्रभावित होगी।

2-इस नियमावली में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो :-- परिभाषायें

(क) "समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति से है,

(ख) "प्रक्रिया नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 से है,

(ग) अन्य शब्दों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिये प्रक्रिया नियमावली में अभिप्रेत हों।

3-प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये गठित समिति यथाशीघ्र अथवा अपने कार्यकाल में समय-समय पर सरकारी कार्य-कलाप के अन्तर्गत आने वाले विषय या विषय-समूह, चाहे वह एक विभाग या एक से अधिक विभागों के अन्तर्गत आते हों, से सम्बन्धित ऐसे प्राक्कलनों को चुनेगी जिनका परीक्षण समिति द्वारा किया जाना हो। समिति द्वारा विषयों का चयन

4-नियम 3 के अन्तर्गत विषय के चयनोपरान्त सम्बन्धित विभाग से निम्नांकित सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जायगा :-- चयनित विषय से सम्बन्धित सूचनाओं का मांगा जाना

(1) सम्बन्धित विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों के संगठन एवं उसके कार्यों का पूर्ण विवरण।

(2) विस्तृत विवरण, जिन पर प्राक्कलन आधारित हों। (व्यय की प्रमुख मदों का उल्लेख करते हुए उन तथ्यों का वर्णन किया जाय जिसके आधार पर प्रत्येक मद के लिये धनराशि का अनुमान आय-व्ययक में उल्लिखित है)।

(3) गत तीन वर्षों के अनुरूप आंकड़ों की तुलना में विभागीय कार्यों में विस्तार।

(4) योजनाएं अथवा परियोजनाएं जिन्हें विभाग ग्रहण कर चुका है। (योजना का नाम तथा विवरण, व्यय के प्राक्कलन, अवधि जिसमें उसके पूरे होने की सम्भावना हो, उत्पादन यदि कोई हो, उन्नति जो अब तक हो चुकी हो, आदि बातें बतलायी जानी चाहिए)।

(5) योजना के प्राविधानों एवं लक्ष्यों के विपरीत वित्तीय एवं भौतिक "निष्पादन" की समीक्षा तथा चालू वर्ष एवं योजना के शेष वर्षों के लिये पूर्वानुमान।

(6) पूर्वगामी तीन वर्षों के मूल आय-व्ययक अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान तथा वास्तविक व्यय जो प्राक्कलनों के प्रत्येक उपशीर्षक के अन्तर्गत किया गया हो तथा उनमें भिन्नता, यदि कोई हो, के कारण।

(7) प्रतिवेदन, यदि कोई हो, जो विभाग ने अपने कार्य के विषय में निर्गत किया हो।

(8) अन्य कोई सूचना, जिसे समिति मांगे अथवा जिसे देना विभाग स्वयं ही आवश्यक या उचित समझे।

सूचना/विवरण
आदि की
प्रतियां

5-नियम 4 में उल्लिखित सूचनाएं, विवरण आदि की चालीस प्रतियां सम्बन्धित विभाग द्वारा तीन सप्ताह के भीतर समिति (वित्त) अनुभाग-2 को प्रस्तुत की जायेगी, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अवधि कम की जा सकती है।

विवरण आदि
का परिचालन

6-नियम 5 में निर्दिष्ट विवरण आदि प्राप्त होने पर उन्हें समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायेगा।

अतिरिक्त
प्रश्नों/वाद-
विषयों की
सूचना

7-समिति के सदस्य ऐसे विषयों पर प्रश्नों या वाद-विषयों की सूचना भेज सकते हैं जिनके सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो। ऐसी सूचना समिति के उपवेशन के दिनांक से सामान्यतया सात दिन पूर्व समिति के प्रमुख सचिव को भेज दी जायेगी, किन्तु विशेष

परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट 7 दिन की अवधि को सभापति के आदेशानुसार कम भी किया जा सकता है।

8-समिति के किसी सदस्य द्वारा अभिसूचित प्रश्न तथा वाद-विषय समय-समय पर समिति के समस्त सदस्यों में परिचालित किये जायेंगे। उन प्रश्नों तथा वाद-विषयों की प्रतिलिपियां सम्बद्ध विभाग को भी उनकी टिप्पणी के लिये भेजी जायेंगी। वांछित टिप्पणी प्राप्त होने पर उसे यथासम्भव शीघ्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

9-उस दिनांक या दिनांकों में जब समिति सम्बद्ध विभाग के प्रतिनिधि को बुलाने का विनिश्चय करें, विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष और आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि प्राक्कलनों के विवरणों को स्पष्ट करने के लिये और ऐसी सूचना देने के लिये उपस्थित रहेंगे जिसे समिति मांगे।

10-समिति के सभापति कार्यसूची पर रखे गये वाद-विषयों या प्रश्नों को एक-एक करके पुकारेंगे और सम्बद्ध विभाग अथवा वित्त विभाग के प्रतिनिधि स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे। यदि किसी वाद-विषय के लिये और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो सभापति द्वारा दूसरे सदस्यों को मौखिक प्रश्न करने की अनुज्ञा दी जायेगी। सम्बद्ध विभाग अथवा वित्त विभाग का प्रतिनिधि ऐसे वाद-विषयों का उत्तर तत्काल दे सकते हैं या बाद में सूचना देने का अनुरोध कर सकते हैं।

11-प्रमुख सचिव, उन वाद-विषयों को अंकित करेगा जिनके विषय में समिति ने और अधिक सूचना की अपेक्षा की हो और सभापति के निर्देशाधीन ऐसी कार्यवाही करेगा जो आवश्यक हो।

12-समिति की कार्यवाही के संगत भाग शोधन के लिये और प्राप्ति के तीन दिन के भीतर वापसी के लिये समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले अधिकारियों को प्रेषित किये जायेंगे। अधिकारियों के पास कार्यवाही के जो अंश भेजे गये हों वे अनिवार्यतः वापस ले लिये जायेंगे।

अतिरिक्त प्रश्नों
आदि का
परिचालन

विभागीय
प्रतिनिधियों की
उपस्थिति

कार्यसूची का
निस्तारण

वाद-विषय जिन
पर अग्रेतर
सूचना अपेक्षित
हो

कार्यवाही के
संगत अंशों का
शोधन

साक्ष्य तथा
सूचनाओं
आदि को
गोपनीय समझा
जाना

13-समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य और समिति या उसके द्वारा गठित उप समिति/अध्ययन दल को परिचालित सूचना, विवरण आदि को गोपनीय समझा जायेगा, और उसे किसी बाहरी व्यक्ति को तब तक दिखाया या दिया नहीं जायेगा जब तक सम्बन्धित विषय पर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत न कर दिया जाय :

परन्तु ऐसे विवरण आदि गोपनीय नहीं समझे जायेंगे जो सदन के पटल पर रखे जा चुके हों।

कार्यवाही/संक्षिप्त
विवरण का
अभिलेख

14-समिति के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही या उसके संक्षिप्त विवरण का प्रारूप सभापति के अनुमोदन तथा हस्ताक्षरों के लिये प्रमुख सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा और अनुमोदनोपरान्त उसे अभिलेख के प्रयोजनार्थ समिति के कार्यालय में रखा जायेगा।

प्रतिवेदन का
प्रारूप

15-जब प्राक्कलनों के किसी भाग का परीक्षण पूर्ण हो चुका हो तब समिति अपनी सिफारिशें तैयार कर सकेगी। इन सिफारिशों के आधार पर सचिवालय द्वारा प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया जायेगा।

प्रतिवेदन के
प्रारूप पर विचार

16-प्रतिवेदन के प्रारूप पर समिति की बैठक में विचार होगा। बैठक में उपस्थित सदस्यों के निश्चयानुसार प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

विचार के समय
बाहरी व्यक्ति का
निषेध

17-जब समिति प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर रही हो अथवा उसे अन्तिम रूप दे रही हो, तब ऐसा कोई व्यक्ति, जो समिति का सदस्य न हो या समिति के सचिवालय का अधिकारी/कर्मचारी न हो, ऐसे उपवेशन में उपस्थित नहीं होगा।

प्रतिवेदन की
अग्रिम प्रतिलिपि
का सम्बद्ध
विभाग को भेजा
जाना

18-प्रतिवेदन की एक अग्रिम प्रतिलिपि, जिस पर "गोपनीय" अंकित होगा, सम्बद्ध विभाग को, आवश्यक समझे जाने की दशा में, तथ्य सम्बन्धी विवरणों, के प्रमाणीकरण के लिये भेजी जा सकेगी तथा उसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग को भी भेजी जा सकेगी और प्राप्ति के तीन दिन के भीतर उसके सम्बन्ध में उत्तर सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विभागों को आदेश दिया जायेगा कि प्रतिवेदन के विषय को तब तक गुप्त रखें जब तक कि वह सदन में उपस्थित न कर दिया जाय।

19-प्रतिवेदन के सदन में उपस्थित किये जाने के पूर्व सभापति प्रतिवेदन के समिति द्वारा अनुमोदित प्रारूप में सम्बद्ध विभाग द्वारा परिवर्तनों की सूचना दिये जाने के आधार पर ऐसे तथ्य सम्बन्धी परिवर्तन कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

20-सभापति समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे।

21-ज्योंही कोई प्रतिवेदन पूर्ण हो जाय वह सदन में उपस्थित करने के लिये मुद्रित कराया जायेगा। यदि अप्रत्याशित परिस्थितिवश उपस्थित करने के लिये निर्धारित दिनांक तक मुद्रित प्रतिलिपियां प्राप्त न हो सके, तो प्रतिवेदन की पाण्डुलिपि सदन में प्रस्तुत की जायेगी और बाद में सदस्यों को उसकी मुद्रित प्रतियां वितरित की जायेगी।

22-(1) सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् सरकार, प्रतिवेदन की प्रति उसे प्राप्त होने के 3 माह के अन्दर, समिति के समक्ष यथाशीघ्र एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें उपर्युक्त प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियों का उल्लेख रहेगा।

(2) सरकार का उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त यथासम्भव शीघ्र समिति उन पर विचार करेगी और यह निर्णय करेगी कि सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह उसे मान्य है अथवा नहीं। सरकार द्वारा अस्वीकृत समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के उत्तर से असहमत होने की दशा में समिति ऐसे विषयों पर अपना मत व्यक्त करेगी। तदुपरान्त सदन को अवगत कराने हेतु समिति सदन में एक कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। ऐसे प्रतिवेदन के निम्न तीन भाग होंगे :--

(क) सरकार द्वारा स्वीकृत समिति की सिफारिशें,

(ख) समिति की ऐसी सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त स्पष्टीकरण से समिति सहमत हो, तथा

(ग) समिति की ऐसी सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त स्पष्टीकरण से समिति असहमत हो।

प्रतिवेदन में
तथ्यात्मक
परिवर्तन

समिति के
प्रतिवेदन पर
हस्ताक्षर
प्रतिवेदन का
मुद्रण एवं
उपस्थापन

संस्तुतियों का
कार्यान्वयन

परिशिष्ट-1

प्राक्कलन समिति का उद्भव-

भारत के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि बिना विधायिका की अनुमति के कार्यपालिका द्वारा न तो कोई टैक्स लिया जा सकता है और न ही कोई धन खर्च किया जा सकता है। इस हेतु विधायिका की अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यपालिका प्रतिवर्ष अपनी आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। इस विवरण पर यद्यपि, यथास्थिति, केन्द्र में लोक सभा तथा राज्यों में विधान सभाओं द्वारा काफी समय तक विचार किया जाता है परन्तु विवरण की गूढ़ता, उसके विस्तृत स्वरूप तथा उसके तकनीकी पहलुओं को देखते हुए यह समय पर्याप्त नहीं होता है। अतः कार्यपालिका द्वारा किये जाने वाले व्यय पर विधायिका को प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से भारत में समिति प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अन्तर्गत लोक सभा में प्रथम बार वर्ष 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। इससे पूर्व लोक सभा में एक स्थाई समिति थी जिसका गठन 1921 में भारतीय संविधानिक सुधार 1918 की रिपोर्ट में की गयी संस्तुतियों के अनुसार किया गया था। यह समिति वित्त विभाग को परामर्श देने वाली संस्था के रूप में कार्य करती थी। यह न तो संस्था के प्रति उदत्तरदायी थी, न ही इसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत होती थी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम 5 सितम्बर, 1952 को किया गया था। इससे पूर्व यहां भी एक स्थाई वित्त समिति थी जो वर्ष 1922 में गठित की गयी थी। यह स्थाई वित्त समिति भी शासन की सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। यह समिति 1922 से 1956 तक कार्य करती रही। इसे 1958 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 को लागू करके औपचारिक रूप से समाप्त किया गया। इस प्रकार 1952 से 1956 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में तीन वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा स्थाई वित्त समिति कार्यरत रही। वर्ष 1956 के बाद 1957-58 में स्थाई वित्त समिति का गठन नहीं किया गया था।

समिति का गठन-

प्राक्कलन समिति का गठन सदन द्वारा उसके सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

समिति में 25 से अनधिक सदस्य होते हैं और उसमें कोई मंत्री सदस्य नियुक्त नहीं किया जाता है और यदि समिति का कोई सदस्य बाद में मंत्री नियुक्त हो जाता है तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रह जाता है।

समिति के सभापति की नियुक्ति मा० अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है। परम्परा के अनुसार प्राक्कलन समिति का सभापति सत्तारूढ़ दल का होता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति में विधान परिषद् का कोई सदस्य नहीं होता है यद्यपि अन्य कई विधान सभाओं की प्राक्कलन समितियों में विधान परिषद् के सदस्य भी होते हैं।

समिति के कृत्य-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 232(1) के अनुसार प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित कृत्य हैं :-

1-(क) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति से संगत क्या मितव्ययितायें, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदित करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना; तथा

(घ) प्राक्कलन किस रूप में सभा में उपस्थित किये जायेंगे, इसका सुझाव देना।

2-समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष के भीतर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाए, सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी। समिति के लिए यह अनिवार्य न होगा कि किसी एक वर्ष के समस्त प्राक्कलनों की जांच करे। इस बात के होते हुए भी समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है अनुदानों की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा।

इससे स्पष्ट है कि समिति को अपनी जांच मूलतः प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति, जिसका अनुमोदन सदन करता है, में रहते हुए ही करना है, परन्तु जहां यह सिद्ध हो जाय कि प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं वहां समिति सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकती है तथा वैकल्पिक नीतियों का सुझाव भी दे सकती है। वस्तुतः किसी नीति के गुण व अवगुण का ज्ञान उसको क्रियान्वित करने के बाद ही हो पाता है। अतः प्राक्कलन समिति की वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देने का अधिकार औचित्यपूर्ण ही है। यह अवश्य है कि समिति सदन द्वारा अनुमोदित नीति की जांच नहीं कर सकती है और न इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय प्रकट कर सकती है किन्तु समिति को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह सदन द्वारा अनुमोदित नीतियों से अलग सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों की जांच कर सके। साथ ही वह ऐसे विषयों की जांच कर सकती है जिसे सरकार ने अपनी कार्यकारी कृत्यों के निर्वहन में नीतियों के विषय के रूप में निर्धारित कर दिया हो।

प्रशासन में दक्षता व मितव्ययता लाने के सम्बन्ध में संस्तुति करने अथवा वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देने के अतिरिक्त समिति को यह भी अधिकार है कि प्राक्कलन किस रूप में सभा में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है अथवा नहीं, उसकी भी जांच करें।

परिशिष्ट-2

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के सदन की समितियों की प्रक्रिया सम्बन्धित सामान्य नियम

(1) प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी :

200-सदन की समितियों की नियुक्ति-

परन्तु कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि वे उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हों।

(2) समिति में आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति, यथास्थिति, सदन द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशन करके की जायेगी और जो सदस्य ऐसी रिक्तिताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचित, नियुक्त और नाम-निर्देशित हों उस कालावधि के असमाप्त भाग तक पद धारण करेंगे जिसके लिये वह सदस्य जिसके स्थान पर वे निर्वाचित, नियुक्त अथवा नाम-निर्देशित किये गये हैं, पद धारण करते :

परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर न अनियमित होगी और न रुकेगी कि आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति नहीं की गयी है।

जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किये जाने पर, इस आधार पर आपत्ति की जाये कि उस सदस्य का ऐसे घनिष्ट प्रकार का वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है कि उससे समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :-

200-क-समिति की सदस्यता पर आपत्ति-

(क) जिस सदस्य ने आपत्ति की हो वह अपनी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले

विषयों में प्रस्थापित सदस्य के आरोपित हित के स्वरूप का, चाहे वह वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो, सुतथ्यतया कथन करेगा,

(ख) आपत्ति का कथन किये जाने के बाद, अध्यक्ष समिति के लिये प्रस्थापित सदस्य को जिसके विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, स्थिति बताने के लिये अवसर देगा,

(ग) यदि तथ्यों के सम्बन्ध में विवाद हो तो अध्यक्ष आपत्ति करने वाले सदस्य तथा उस सदस्य से जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो, अपने-अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने के लिये कह सकेगा,

(घ) जब अध्यक्ष ने अपने समक्ष इस तरह दिये गये साक्ष्य पर विचार कर लिया हो, तो उसके बाद वह अपना विनिश्चय देगा जो अन्तिम होगा,

(ङ) जब तक अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय न दिया हो, वह सदस्य जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी हो समिति का सदस्य बना रहेगा, यदि वह निर्वाचित या नाम-निर्देशित हो गया हो, और चर्चा में भाग लेगा, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा, और

(च) यदि अध्यक्ष यह विनिश्चय करें कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गयी है उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विषय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है, तो उसकी समिति की सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जायेगी :

परन्तु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के विनिश्चय द्वारा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी।

व्याख्या—इस नियम के प्रयोजनों के लिये सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जन साधारण या उसके किसी वर्ग का भाग के साथ सम्मिलित रूप में या राज्य की नीति के किसी विषय में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके मत पर आपत्ति की जाय, पृथक् रूप से होना चाहिए।

(1) प्रत्येक समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा :

201-समिति का
सभापति-

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हों तो वे समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों अथवा उनका पद रिक्त हो तो अध्यक्ष उनके स्थान में अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे।

(3) यदि समिति के सभापति समिति के किसी उपवेशन से अनुपस्थित हों तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिये निर्वाचित करेगी।

(1) किसी समिति का उपवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के कुल सदस्यों की संख्या से तृतीयांश से अन्यून होगी जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो।

202-गणपूर्ति-

* (2) समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित किसी समय पर या उपवेशन के दौरान किसी समय पर यदि गणपूर्ति न हो तो सभापति उपवेशन को आधे घण्टे के लिये स्थगित कर देंगे और पुनः समवेत होने पर उपवेशन के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की पंचमांश से अन्यून होगी। यदि पुनः समवेत उपवेशन में उपस्थित सदस्यों की संख्या समिति की कुल सदस्य संख्या के पंचमांश से भी न्यून रहे तो उपवेशन को किसी भावी तिथि के लिये स्थगित कर दिया जायेगा।

(3) जब समिति उप नियम (2) के अन्तर्गत समिति के उपवेशन के लिये निर्धारित दो लगातार दिनांकों पर स्थगित हो चुकी हो तो सभापति इस तथ्य को सदन को प्रतिवेदित करेंगे :-

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो तो सभापति स्थगन के तथ्य को अध्यक्ष को प्रतिवेदित करेंगे।

(4) ऐसा प्रतिवेदन किये जाने पर, यथास्थिति, सदन या अध्यक्ष यह विनिश्चित करेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाय।

*दिनांक 07 जून, 2001 की अधिसूचना/प्रकीर्ण द्वारा प्रतिस्थापित, [दिनांक 31 मई, 2001 से प्रभावी]

203-समिति के उपवेशनों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना तथा उनके स्थान की पूर्ति-

(1) यदि कोई सदस्य किसी समिति के लगातार 3 उपवेशनों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहें तो ऐसे सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के उपरान्त उस समिति से उनकी सदस्यता अध्यक्ष की आज्ञा से समाप्त की जा सकेंगी, और समिति में उनका स्थान अध्यक्ष की ऐसी आज्ञा के दिनांक से रिक्त घोषित किया जा सकेगा।

(2) नियम-200 के उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी उप नियम (1) के अन्तर्गत रिक्त स्थान की पूर्ति, अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य सदस्य को नाम-निर्देशित करके की जा सकेगी।

प्रथम-स्पष्टीकरण-

इस नियम के अधीन उपवेशनों की गणना हेतु लखनऊ से बाहर आयोजित उपवेशनों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

द्वितीय स्पष्टीकरण-

यदि कोई सदस्य समिति के उपवेशन में भाग लेने हेतु लखनऊ आये हों, किन्तु उपवेशन में भाग न ले सके हों और लखनऊ आने की लिखित सूचना वह प्रमुख सचिव को उपवेशन की तिथि को ही उपलब्ध करा दें, तो इस नियम के प्रयोजन के लिये उन्हें उक्त तिथि को अनुपस्थित नहीं समझा जायेगा।

204-सदस्य का त्याग-पत्र-

कोई सदस्य समिति में अपने स्थान को स्वहस्त लिखित पत्र द्वारा जो अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्याग सकेंगे।

205-समिति की पदावधि-

इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी :

परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचित या नाम-निर्देशित समितियां, जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, उस समय तक पद धारण करेंगी जब तक कि नई समिति नियुक्त न हो जाय।

206-समिति में मतदान-

समिति के किसी उपवेशन में समस्त प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मताधिक्य से होगा। किसी विषय में मत साम्य होने की दशा में सभापति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

(1) इन नियमों के अन्तर्गत इनमें से कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों की जो उसे निर्दिष्ट किये जायं, जांच करने के लिए एक या अधिक उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति के किसी उपवेशन में अनुमोदित हो जायं।

(2) उप-समिति के निर्देश-पत्र में अनुसंधान के लिये विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख होगा। उप-समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति के उपवेशन ऐसे समय और दिन में होंगे जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाय :

परन्तु यदि समिति का सभापति सुगमतया उपलब्ध न हो अथवा उनका पद रिक्त हो तो प्रमुख सचिव उपवेशन का दिन और समय निर्धारित कर सकेंगे।

समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो :

परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति के सभापति समिति की कार्यवाहियों को ऐसे समय तक के लिये निलम्बित कर सकेंगे जो उनकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने का अवसर दे सकें।

समिति के उपवेशन, विधान भवन, लखनऊ में किये जायेंगे और यदि यह आवश्यक हो जाय कि उपवेशन का स्थान विधान भवन के बाहर परिवर्तित किया जाय तो यह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(1) किसी साक्षी को प्रमुख सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेजों को पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिये आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह अपने समक्ष दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे।

207-उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति-

208-समिति के उपवेशन-

209-समिति के उपवेशन उस समय हो सकेंगे जब सदन का उपवेशन हो रहा हो-

210-उपवेशनों का स्थान-

211-साक्ष्य लेने व पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति-

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें रूपान्तर किया जायेगा।

(4) समिति को शपथ पर साक्ष्य लेने और व्यक्तियों को उपस्थित कराने, पत्रों या अभिलेखों के उपस्थापन की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाय :

परन्तु शासन किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगा कि उसका प्रकट किया जाना राज्य के हित तथा सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।

(5) समिति के समक्ष दिया गया समस्त साक्ष्य तब तक गुप्त एवं गोपनीय समझा जायेगा जब तक समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थित न कर दिया जाय :

परन्तु यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह किसी साक्ष्य को गुप्त एवं गोपनीय समझे, जिस दशा में वह प्रतिवेदन का अंश नहीं बनेगा।

212-पक्ष या साक्षी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है-

समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता से कराये जाने की अनुमति दे सकेगी। इसी प्रकार कोई साक्षी समिति के समक्ष अपने द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा।

213-साक्षियों की जांच की प्रक्रिया-

समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी :-

(1) समिति किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाये जाने से पूर्व उस प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकें।

(2) समिति के सभापति, इस नियम के उप नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जो वह विषय या तत्सम्बन्धी किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझें।

(3) सभापति समिति के अन्य सदस्यों को एक-एक करके कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिये कह सकेंगे।

(4) साक्षी को समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बात रखने को कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुका हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये आहूत किया जाय तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जायेगा।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे :

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हों या सुगमतया न मिल सकते हों तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी।

समिति, यदि वह ठीक समझे, तो वह अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये गये किसी भाग को सदन में उपस्थापित करने से पूर्व शासन को उपलब्ध कर सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में उपस्थापित नहीं कर दिये जायेंगे तब तक गोपनीय समझे जायेंगे।

(1) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायेगा और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य यदि कोई अभ्युक्ति करें तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

214-समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर-

215-उपस्थापन के पूर्व प्रतिवेदन का शासन को उपलब्ध किया जाना-

216-प्रतिवेदन का उपस्थापन-

(3) सम्बन्धित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

(4) प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे।

217-सदन में उपस्थापन से पूर्व प्रतिवेदन का प्रकाशन या परिचालन-

अध्यक्ष, उनसे प्रार्थना किये जाने पर और जब सदन सत्र में न हो समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन या परिचालन का आदेश दे सकेंगे यद्यपि वह सदन में उपस्थापित न किया गया हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर उपस्थापित किया जायेगा।

218-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव देने की शक्ति-

(1) समिति की अध्यक्ष के विचारार्थ उस समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें।

(2) इन समितियों में से कोई अध्यक्ष के अनुमोदन से इन नियमों में सन्निहित उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये प्रक्रिया के विस्तृत नियम बना सकेंगी।

219-प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति-

(1) अध्यक्ष समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दे सकेंगे जिन्हें वे उसकी प्रक्रिया और कार्य के संगठन के विनियमन के लिये आवश्यक समझें।

(2) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य किसी विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति यदि ठीक समझे तो उस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

कोई समिति जो सदन के विघटन से पूर्व अपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ हो तो वह सदन को प्रतिवेदन देगी कि समिति अपना कार्य समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है। कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो वह नयी समिति को उपलब्ध कर दिया जायेगा।

प्रमुख सचिव इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त समस्त समितियों के पदेन प्रमुख सचिव होंगे।

किसी विशेष समिति के लिये जब तक अन्यथा विशेष रूप से उपबन्धित न हो इस अध्याय के सामान्य नियम के उपबन्ध सब समितियों पर प्रवृत्त होंगे।

220-समिति
का असमाप्त
कार्य-

221-प्रमुख
सचिव,
समितियों का
पदेन प्रमुख
सचिव होगा-

222-समितियों
के सामान्य
नियमों की
प्रवृत्ति-

परिशिष्ट-3

प्राक्कलन समिति से संबंधित विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के विशिष्ट नियम

231-समिति का गठन-

(1) ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिये जो समिति को ठीक प्रतीत हों या उसे सदन द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें, एक प्राक्कलन समिति होगी।

(2) समिति में 25 से अनधिक सदस्य होंगे, जो सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके, सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

232- समिति के कृत्य-

(1) समिति के कृत्य ये होंगे :-

(क) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति से संगत क्या मितव्ययितायें, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदित करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिये वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना; तथा

(घ) प्राक्कलन किस रूप में सभा में उपस्थित किये जायेंगे, इसका सुझाव देना।

(2) समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष के भीतर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाय, सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी। समिति के लिये यह अनिवार्य न होगा कि किसी एक वर्ष के समस्त प्राक्कलनों की जांच करे। इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है अनुदानों की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा।

परिशिष्ट-4

प्राक्कलन समिति के माननीय सभापतियों के नाम

वित्तीय वर्ष	माननीय सभापति का नाम
1952-53	आचार्य जुगुल किशोर
1953-54	आचार्य जुगुल किशोर
1954-55	आचार्य जुगुल किशोर (त्याग-पत्र दिया) श्री नवल किशोर (22 फरवरी, 1955 से)
1955-56	श्री नवल किशोर
1956-57	श्री नवल किशोर
1957-58	श्री नवल किशोर
1958-59	श्री नवल किशोर
1959-60	श्री नवल किशोर
1960-61	श्री देवकी नन्दन विभव
1961-62	श्री देवकी नन्दन विभव
1962-63	श्री जगदीश शरण अग्रवाल
1963-64	श्री जगदीश शरण अग्रवाल
1964-65	आचार्य जुगुल किशोर
1965-66	श्री केश भान राय (दि० 19 जून, 1966 से)
1966-67	श्री केशभान राय
1967-68	श्री राम नारायण त्रिपाठी
1968-69	राष्ट्रपति शासन (दिनांक 25-2-68 से 26-2-69 तक)
1969-70	श्री राम सिंह
1970-71	{ श्री राज बिहारी सिंह (दि० 14-12-70 तक) श्री अमर नाथ दूबे (दि० 9-1-71 से)
1971-72	श्रीमती सिया दुलारी
1972-73	श्रीमती सिया दुलारी
1973-74	श्री कृष्ण सिंह
1974-75	श्री रामायण राय

वित्तीय वर्ष	माननीय सभापति का नाम
1975-76	{ श्री रामायण राय श्री काशी नाथ मिश्र (दि० 2 फरवरी, 1976 से)
1976-77	श्री काशी नाथ मिश्र
1977-78	श्री राधेश्याम शर्मा
1978-79	श्री राधेश्याम शर्मा
1979-80	श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव
1980-81	{ श्री राम रतन सिंह (दि० 13-11-80 से 3-12-80 तक) श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (दि० 27-12-80 से)
1981-82	श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय
1982-83	श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण
1983-84	श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण
1984-85	श्री गोवर्धन तिवारी
1985-86	श्री भगवती सिंह विशारद
1986-87	डा० कृष्णवीर सिंह कौशल
1987-88	{ श्रीमती सुखदा मिश्रा (दिनांक 14-11-87 तक) श्री तेज बहादुर गंगवार (दि० 6-1-1988 से शेष अवधि के लिये हुये)
1988-89	श्री भगवती सिंह विशारद
1989-90	श्री शारदानन्द अंचल
1990-91	श्री जगदीश लाल
1991-92	श्री श्यामदेव राय चौधरी
1992-93	(दिनांक 6-12-92 से 4-12-93 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा)
1993-94	श्री हृदय नारायण
1994-95	श्री सफदर रजा खान
1995-96	श्री सफदर रजा खान
1996-97	(दि० 18-10-95 से 17-10-1996 तक तथा 17-10-96 से 21-3-97 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा)

वित्तीय वर्ष	माननीय सभापति का नाम
1997-98	{ श्री राम कुमार वर्मा (27-10-97 से मंत्रि-परिषद् में शामिल) श्री बाल चन्द्र मिश्र (दिनांक 23-12-97 से सभापति बने)
1998-99	श्री बाल चन्द्र मिश्र
1999-2000	श्री श्याम देव राय चौधरी
2000-2001	श्री नरेन्द्र सिंह
2001-2002	श्री नरेन्द्र सिंह
2002-2003	श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (दिनांक 11-10-2002 से मंत्रि-परिषद् में शामिल) श्री वीरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) (दिनांक 21-11-2002 से शेष अवधि के लिये) (दिनांक 03-10-2003 से मंत्रि-परिषद् में शामिल)
2003-2004	श्री राधेश्याम सिंह (दिनांक 10-01-2004 से)
2004-2005	श्री राधेश्याम सिंह
2005-2006	श्री राधेश्याम सिंह
2006-2007	श्री राधेश्याम सिंह
2007-2008	श्री श्याम सुन्दर शर्मा (दिनांक 19 सितम्बर, 2007 से)
2008-2009	श्री श्याम सुन्दर शर्मा
2009-2010	श्री श्याम सुन्दर शर्मा
2010-2011	श्री श्याम सुन्दर शर्मा
2011-2012	श्री श्याम सुन्दर शर्मा (दिनांक 04 जनवरी, 2012 तक)
2012-2013	श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू (दिनांक 09 अगस्त, 2012 से)
2013-2014	श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू
2014-2015	श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू
2015-2016	श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव (दिनांक 01 जुलाई, 2015 से)
2016-2017	श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव (दिनांक 17 मार्च, 2017 तक)

परिशिष्ट-5

प्राक्कलन समिति द्वारा वर्ष 1952 से दिसम्बर, 2016 तक सदन में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
प्रथम विधान सभा		
1	15 मार्च, 1954	निर्माण विभाग (प्रथम प्रतिवेदन)
2	22 मार्च, 1954	विद्युत विभाग (द्वितीय प्रतिवेदन)
3	30 मार्च, 1954	सिंचाई विभाग (तृतीय प्रतिवेदन)
4	23 दिसम्बर, 1954	स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग (चतुर्थ प्रतिवेदन)
5	28 दिसम्बर, 1954	गन्ना विकास विभाग (पंचम प्रतिवेदन)
6	28 दिसम्बर, 1954	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग (षष्ठ प्रतिवेदन)
7	23 मार्च, 1955	कृषि विभाग (सप्तम प्रतिवेदन)
8	23 अगस्त, 1955	पशुपालन विभाग (अष्टम् प्रतिवेदन)
9	22 सितम्बर, 1955	सामग्री क्रय शाखा (उद्योग विभाग के अन्तर्गत) (नवम् प्रतिवेदन)
द्वितीय विधान सभा		
10	26 सितम्बर, 1958	सार्वजनिक निर्माण विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति के प्रथम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय (प्रथम प्रतिवेदन)
11	2 दिसम्बर, 1958	सिंचाई विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति के तृतीय प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (द्वितीय प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
12	5 मार्च, 1959	सूचना विभाग (तृतीय प्रतिवेदन)
13	9 मार्च, 1959	सामग्री क्रय शाखा संबंधी प्राक्कलन समिति (प्रथम विधान सभा) के नवम् प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
14	3 सितम्बर, 1959	पीलीभीत उपनिवेशन योजना (पंचम प्रतिवेदन)
15	8 सितम्बर, 1959	स्थानीय स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति (प्रथम विधान सभा) के चतुर्थ प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (षष्ठ प्रतिवेदन)
16	10 सितम्बर, 1959	गन्ना विकास विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति (प्रथम विधान सभा) के पंचम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (सप्तम् प्रतिवेदन)
17	30 दिसम्बर, 1959	नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति (प्रथम विधान सभा) के षष्ठ प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (अष्टम् प्रतिवेदन)
18	31 मार्च, 1960	गवर्नमेन्ट प्रिंसीपल इन्स्ट्रुमेन्ट्स फैक्ट्री, लखनऊ। (नवम् प्रतिवेदन)
19	31 मार्च, 1960	पशुपालन विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति (प्रथम विधान सभा) के अष्टम् प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (दशम् प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
20	26 जुलाई, 1960	राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क (ग्यारहवां प्रतिवेदन)
21	2 अगस्त, 1960	टाण्डा पम्पड कैनाल योजना से संबंधित। (बारहवां प्रतिवेदन)
22	8 फरवरी, 1961	इंडियन वाविन कम्पनी लिमिटेड, कलक्टरवकगंज। (तेरहवां प्रतिवेदन)
23	22 अप्रैल, 1961	विद्युत विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति (प्रथम विधान सभा) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (चौदहवां प्रतिवेदन)
24	14 अप्रैल, 1961	वक्ष रोग चिकित्सालय, कानपुर (पन्द्रहवां प्रतिवेदन)
25	4 मई, 1961	सिंचाई प्रसार सेवा की स्थापना (सोलहवां प्रतिवेदन)
26	12 मई, 1961	कृषि विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति (प्रथम विधान सभा) के सप्तम् प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (सत्रहवां प्रतिवेदन)
27	11 मई, 1961	नैनीताल में बने सरकारी आवास-गृहों से संबंधित प्रतिवेदन। (अट्ठारहवां प्रतिवेदन)
28	8 अगस्त, 1961	इंडियन टरपेन्टाइन व रोजिन कम्पनी लि० से संबंधित। (उन्नीसवां प्रतिवेदन)
29	8 अगस्त, 1961	सरकारी सचिवालय से संबंधित। (बीसवां प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
तृतीय विधान सभा		
30	26 मार्च, 1963	टाण्डा पम्पड कैनल योजना से सम्बद्ध प्राक्कलन समिति (द्वितीय विधान सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (प्रथम प्रतिवेदन)
31	26 मार्च, 1963	कानपुर वक्ष रोग चिकित्सालय से सम्बद्ध प्राक्कलन समिति (द्वितीय विधान सभा) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा उन पर समिति का निर्णय। (द्वितीय प्रतिवेदन)
32	19 मार्च, 1964	बिक्री-कर विभाग से संबंधित। (तृतीय प्रतिवेदन)
33	30 मार्च, 1964	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर से संबंधित। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
34	13 अप्रैल, 1964	विद्युत विभाग से संबंधित। (पंचम प्रतिवेदन)
35	13 अप्रैल, 1964	माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। (षष्ठ प्रतिवेदन)
36	5 मई, 1964	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक आस्थानों के निर्माण से संबंधित। (सप्तम् प्रतिवेदन)
37	5 मई, 1964	उत्तराखण्ड मण्डल से संबंधित। (अष्टम् प्रतिवेदन)
38	22 अप्रैल, 1965	चिकित्सा विभाग से संबंधित। (नवम् प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
39	30 अप्रैल, 1965	पीलीभीत उपनिवेशन योजना तथा सिंचाई प्रसार सेवा से संबंधित प्राक्कलन समिति (द्वितीय विधान सभा) के क्रमशः पंचम तथा सोलहवें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन। (दशम् प्रतिवेदन)
40	30 अप्रैल, 1965	राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क से संबंधित द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1957-60) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों का कार्यान्वयन। (ग्यारहवां प्रतिवेदन)
41	30 अप्रैल, 1965	सामुदायिक विकास योजना से संबंधित। (बारहवां प्रतिवेदन)
42	21 मार्च, 1966	प्राक्कलन समिति 1957-59 (द्वितीय विधान सभा) के सूचना विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (तिरहवां प्रतिवेदन)
43	29 मार्च, 1966	नैनीताल में बने सरकारी आवास गृहों से संबंधित प्राक्कलन समिति 1960-61 (द्वितीय विधान सभा) के अट्टारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। (चौदहवां प्रतिवेदन)
44	11 अप्रैल, 1966	सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग से संबंधित। (पन्द्रहवां प्रतिवेदन)
45	12 अप्रैल, 1966	वन विभाग से संबंधित। (सोलहवां प्रतिवेदन)
46	13 अप्रैल, 1966	सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश में दुग्ध वितरण योजना से संबंधित। (सत्रहवां प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
47	12 अगस्त, 1966	हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित। (अट्टारहवां प्रतिवेदन)
48	12 अगस्त, 1966	आय-व्ययक के रूप में सुधार से संबंधित। (उन्नीसवां प्रतिवेदन)
49	1 दिसम्बर, 1966	कारागार विभाग से संबंधित। (बीसवां प्रतिवेदन)
50	1 दिसम्बर, 1966	1962-1964 की प्राक्कलन समिति (तृतीय विधान सभा) के उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (इक्कीसवां प्रतिवेदन)
51	7 दिसम्बर, 1966	राजकीय मुद्रणालय से संबंधित। (बाइसवां प्रतिवेदन)
52	9 दिसम्बर, 1966	प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। (तेइसवां प्रतिवेदन)

चतुर्थ विधान सभा

शून्य

पंचम विधान सभा

53 30 अप्रैल, 1970

1965-66 की प्राक्कलन समिति (तृतीय विधान सभा) के सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दुग्ध वितरण योजना से संबंधित सत्रहवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (प्रथम प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
54	8 मई, 1970	आय-व्ययक में सम्मिलित व्ययों के प्राक्कलनों को यथार्थिक (रियालिस्टिक) रूप देने के संबंध में सुझाव। (द्वितीय प्रतिवेदन)
55	1 मई, 1970	उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1962-64) के विक्री-कर विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (तृतीय प्रतिवेदन)
56	05 मई, 1970	उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1962-64) के विद्युत विभाग से संबंधित पंचम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
57	06 मई, 1970	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक आस्थानों के निर्माण से संबंधित तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1962-64) के सातवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। (पंचम प्रतिवेदन)
58	23 जून, 1970	उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1965-66) के हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित अट्टारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन। (षष्ठ प्रतिवेदन)
59	25 अगस्त, 1971	आय-व्ययक के रूप में सुधार से संबंधित तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1966-67) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही। (सातवां प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
60	04 अप्रैल, 1972	उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान (1965-66), वन (1965-66), कारागार (1966-67), माध्यमिक शिक्षा (1962-64), उत्तराखण्ड मण्डल (1962-64), चिकित्सा (1964-65), सामुदायिक विकास योजना (1964-65), राजकीय मुद्रणालय (1966-67) तथा प्राथमिक शिक्षा (1966-67) से संबंधित प्रतिवेदनों में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (आठवां प्रतिवेदन)
61	4 अप्रैल, 1972	वर्ष 1969-70 की प्राक्कलन समिति के आय-व्ययक में सम्मिलित व्ययों के प्राक्कलनों को यथार्थिक (रियालिस्टिक) रूप देने से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (नवम् प्रतिवेदन)
62	6 अप्रैल, 1972	राजस्व परिषद् से सम्बन्धित। (दशम् प्रतिवेदन)
63	6 अप्रैल, 1972	औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों से सम्बन्धित। (ग्यारहवां प्रतिवेदन)
64	25 जुलाई, 1972	सिंचाई विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफारमेंस बजट) से सम्बन्धित। (बारहवां प्रतिवेदन)
65	1 अगस्त, 1972	उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक से सम्बन्धित। (तेरहवां प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
66	23 अप्रैल, 1973	सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी ऋण व्यवस्था से सम्बन्धित। (चौदहवां प्रतिवेदन)
67	23 अप्रैल, 1973	बिक्री-कर विभाग से सम्बन्धित। (पन्द्रहवां प्रतिवेदन)
68	25 अप्रैल, 1973	आबकारी विभाग से सम्बन्धित। (सोलहवां प्रतिवेदन)
69	24 दिसम्बर, 1973	प्राक्कलन समिति (1971-72) के उद्योग विभाग कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक से संबंधित तेरहवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (सत्रहवां प्रतिवेदन)

षष्ठम् विधान सभा

70	27 दिसम्बर, 1974	प्राक्कलन समिति (1971-72) के उद्योग विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक से संबंधित तेरहवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (प्रथम प्रतिवेदन)
71	03 जनवरी, 1975	शासन द्वारा विशेष वेतन के रूप में व्यय की जाने वाली धनराशि तथा इस व्यय के औचित्य से सम्बन्धित। (द्वितीय प्रतिवेदन)
72	06 अगस्त, 1975	खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित। (तृतीय प्रतिवेदन)
73	31 मार्च, 1976	1971-72 की प्राक्कलन समिति के औद्योगिक न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों से संबंधित ग्यारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (चतुर्थ प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
74	02 अप्रैल, 1976	पर्यटन विभाग से सम्बन्धित। (पंचम प्रतिवेदन)
75	06 अप्रैल, 1976	1971-72 की प्राक्कलन समिति के सिंचाई विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफारमेंस बजट) से संबंधित बारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित। (छठा प्रतिवेदन)
76	07 मई, 1976	श्रम विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित। (सप्तम् प्रतिवेदन)
77	10 मई, 1976	सिंचाई विभाग के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों से सम्बन्धित। (आठवां प्रतिवेदन)
78	04 नवम्बर, 1976	1972-73 की प्राक्कलन समिति के सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी ऋण व्यवस्था से सम्बन्धित चौदहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (नवां प्रतिवेदन)
79	04 नवम्बर, 1976	1974-75 की प्राक्कलन समिति के खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (दसवां प्रतिवेदन)
80	22 जुलाई, 1977	1972-73 की प्राक्कलन समिति (पंचम विधान सभा) के आबकारी विभाग से सम्बन्धित सोलहवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के विषय में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (ग्यारहवां प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
81	14 सितम्बर, 1977	चिकित्सा विभाग से संबंधित। (बारहवां प्रतिवेदन)
82	18 जुलाई, 1977	1971-72 की प्राक्कलन समिति के राजस्व परिषद् से सम्बन्धित दशम् प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (तेरहवां प्रतिवेदन)
सप्तम् विधान सभा		
83	31 अगस्त, 1978	प्राक्कलन समिति (1972-73) के बिक्री-कर विभाग से सम्बन्धित पन्द्रहवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (प्रथम प्रतिवेदन)
84	08 सितम्बर, 1978	प्राक्कलन समिति (1975-76) के आठवें प्रतिवेदन (सिंचाई विभाग के अन्तर्गत राजकीय-नलकूपों से संबंधित) में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (द्वितीय प्रतिवेदन)
85	29 दिसम्बर, 1978	प्राक्कलन समिति (1974-75) के द्वितीय प्रतिवेदन में, जो शासन द्वारा विशेष वेतन के रूप में व्यय की जाने वाली धनराशि तथा इस व्यय के औचित्य से संबंधित है, निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (तृतीय प्रतिवेदन)
86	05 फरवरी, 1980	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) से संबंधित। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
87	04 फरवरी, 1980	प्राक्कलन समिति (1975-76) के पर्यटन विभाग से संबंधित पंचम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (पंचम प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
88	05 फरवरी, 1980	प्राक्कलन समिति (1976-77) के चिकित्सा विभाग से संबंधित बारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही। (षष्ठ प्रतिवेदन)
अष्टम् विधान सभा		
89	31 मार्च, 1981	षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति 1975-76 का श्रम विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन तथा प्रशिक्षण से संबंधित सप्तम् प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन। (प्रथम प्रतिवेदन)
90	18 सितम्बर, 1981	भारत सरकार द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट 'रिपोर्ट आन रिफार्म्स इन द स्ट्रक्चर आफ बजट एण्ड एकाउन्ट्स' की संस्तुतियों के आधार पर राज्य बजट को तैयार किये जाने के संबंध में। (विशेष प्रतिवेदन)
91	15 फरवरी, 1983	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित। (द्वितीय प्रतिवेदन)
92	02 सितम्बर, 1983	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन की संस्तुतियों का कार्यान्वयन। (तृतीय प्रतिवेदन)
93	02 सितम्बर, 1983	पश्चिमी गंडक नहर परियोजना से संबंधित। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
94	05 मार्च, 1984	नैनीताल-देहरादून जनपदों में किये जा रहे ग्राम्य विकास कार्यों से संबंधित। (पंचम प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
95	07 अप्रैल, 1984	प्रदेश में सीपेज की समस्या और उसके निराकरण के संबंध में। (षष्ठ प्रतिवेदन)
96	18 अप्रैल, 1984	प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के संबंध में। (सप्तम् प्रतिवेदन)
97	11 सितम्बर, 1984	प्रदेश सरकार के अनुपूरक अनुदान साहित्य को परिवर्तित रूप में तैयार किए जाने के संबंध में। (द्वितीय विशेष प्रतिवेदन)
98	19 मार्च, 1985	अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति के पश्चिमी गंडक नहर परियोजना से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन। (अष्टम् प्रतिवेदन)

नवम् विधान सभा

99	04 सितम्बर, 1985	उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन। अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन। (प्रथम प्रतिवेदन)
100	19 मार्च, 1986	उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (टिहरी बांध परियोजना के संबंध में)। (द्वितीय प्रतिवेदन)
101	04 सितम्बर, 1986	उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का तृतीय प्रतिवेदन। (प्रदेश में सीपेज की समस्या और उसके निराकरण के संबंध में की गई संस्तुतियों का कार्यान्वयन)। (तृतीय प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
102	31 दिसम्बर, 1987	उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का विशेष प्रतिवेदन। (श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के संबंध में)। (विशेष प्रतिवेदन)
103	26 फरवरी, 1988	उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन। (आवास एवं नगर विकास के संबंध में)। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
104	05 अक्टूबर, 1988	उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का पंचम् प्रतिवेदन। (राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश भवन एवं उत्तर प्रदेश निवास के कक्ष आवंटन, उसके रख-रखाव एवं स्टाफ कारों के उपयोग के संबंध में)। (पंचम् प्रतिवेदन)
105	22 फरवरी, 1989	उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति का द्वितीय विशेष प्रतिवेदन। (चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधायें तथा औषधालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव के संबंध में)। (द्वितीय विशेष प्रतिवेदन)
दशम् विधान सभा		शून्य
ग्यारहवीं विधान सभा		शून्य
बारहवीं विधान सभा		
106	07 फरवरी, 1995	उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1994-95) का प्रथम प्रतिवेदन [उत्तर प्रदेश अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1982-83) का पंचम प्रतिवेदन, जो नैनीताल, देहरादून जनपदों में किए जा रहे ग्राम्य विकास कार्यों से संबंधित है, में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन]। (प्रथम प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
107	21 अगस्त, 1995	उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1994-95) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो दुग्धशाला विकास विभाग के (वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92) के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में है। (द्वितीय प्रतिवेदन)
तेरहवीं विधान सभा		
108	23 जुलाई, 1998	उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन। [कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) के वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के प्राक्कलनों के परीक्षण के संबंध में]। (प्रथम प्रतिवेदन)
109	19 मार्च, 1999	उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति के द्वितीय विशेष प्रतिवेदन (चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सुविधायें तथा औषधालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में) में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है। (द्वितीय प्रतिवेदन)
110	19 मार्च, 1999	उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का तृतीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1987-88) का पंचम् प्रतिवेदन (राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश भवन एवं उत्तर प्रदेश निवास के कक्ष आवंटन उसके रख-रखाव एवं स्टाफकारों के उपयोग के संबंध में) में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है। (तृतीय प्रतिवेदन)

क्र०सं० प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि

विषय

- | | | |
|-----|----------------|---|
| 111 | 19 मार्च, 1999 | उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1985-86) के द्वितीय प्रतिवेदन (टिहरी बांध परियोजना के संबंध में) में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है। (चतुर्थ प्रतिवेदन) |
| 112 | 19 मार्च, 1999 | उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का पंचम प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1988-89) के चतुर्थ प्रतिवेदन (आवास एवं नगर विकास के संबंध में) में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है। (पंचम् प्रतिवेदन) |
| 113 | 19 मार्च, 1999 | उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1998-99) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1986-87) का विशेष प्रतिवेदन (श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ के संबंध में) में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है। (षष्ठ प्रतिवेदन) |
| 114 | 30 मई, 2001 | उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2000-2001) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो शासन के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत वैयक्तिक लेखा खाता (पी० एल० ए०) में जमा धनराशियों के संबंध में है। (सप्तम् प्रतिवेदन) |

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
चौदहवीं विधान सभा		
115	16 सितम्बर, 2003	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का प्रथम प्रतिवेदन जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के परीक्षण से सम्बन्धित। (प्रथम प्रतिवेदन)
116	16 सितम्बर, 2003	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2002-2003) का द्वितीय प्रतिवेदन जो सतर्कता विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के परीक्षण से सम्बन्धित। (द्वितीय प्रतिवेदन)
117	21 फरवरी, 2004	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का तृतीय प्रतिवेदन जो ऊर्जा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के परीक्षण से सम्बन्धित। (तृतीय प्रतिवेदन)
118	21 फरवरी, 2004	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो वन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के परीक्षण से सम्बन्धित। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
119	02 मार्च, 2005	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का पंचम प्रतिवेदन जो सिंचाई विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के परीक्षण से सम्बन्धित। (पंचम प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
120	02 मार्च, 2005	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2003-2004) का षष्ठ प्रतिवेदन जो लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के परीक्षण से सम्बन्धित। (षष्ठ प्रतिवेदन)
121	09 मई, 2007	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2006-2007) का सप्तम प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति (1997-98) के प्रथम प्रतिवेदन [कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) तथा समिति (2002-2003) के प्रथम (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) तथा द्वितीय (सतर्कता विभाग)] प्रतिवेदनों में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित। (सप्तम् प्रतिवेदन)
122	09 मई, 2007	उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2006-2007) का अष्टम् प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति (2003-2004) के तृतीय (ऊर्जा विभाग), पंचम (सिंचाई विभाग) तथा षष्ठ (लोक निर्माण विभाग) प्रतिवेदनों में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित। (अष्टम् प्रतिवेदन)
पन्द्रहवीं विधान सभा		
123	05 मार्च, 2008	उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2007-2008) का प्रथम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2000-2001) का सप्तम् प्रतिवेदन [शासन के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत वैयक्तिक लेखा खाता (पी०एल०ए०) में जमा धनराशियों के सम्बन्ध में है] में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित। (प्रथम प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
124	11 मार्च, 2008	उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2007-2008) का द्वितीय प्रतिवेदन जो ऊर्जा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के परीक्षण से सम्बन्धित। (द्वितीय प्रतिवेदन)
125	20 अगस्त, 2008	उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का तृतीय प्रतिवेदन जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के परीक्षण से सम्बन्धित। (तृतीय प्रतिवेदन)
126	04 अगस्त, 2009	उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो वन विभाग के प्राक्कलनों के परीक्षण से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (2003-2004) के चतुर्थ प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित। (चतुर्थ प्रतिवेदन)
127	15 फरवरी, 2011	उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2010-2011) का पंचम प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति (2007-2008) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित। (पंचम प्रतिवेदन)
128	15 फरवरी, 2011	उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2010-2011) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति (2008-2009) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित। (षष्ठम् प्रतिवेदन)

क्र०सं० प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत
करने की तिथि

विषय

सोलहवीं विधान सभा

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 129 | 27 नवम्बर, 2012 | उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का प्रथम प्रतिवेदन जो पशुधन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण से सम्बन्धित। (प्रथम प्रतिवेदन) |
| 130 | 27 नवम्बर, 2012 | उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का द्वितीय प्रतिवेदन जो सहकारिता विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण से सम्बन्धित। (द्वितीय प्रतिवेदन) |
| 131 | 19 मार्च, 2013 | उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का तृतीय प्रतिवेदन जो ऊर्जा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण से सम्बन्धित। (तृतीय प्रतिवेदन) |
| 132 | 19 मार्च, 2013 | उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2007-2008, 2008-2009 तथा 2009-2010 के परीक्षण से सम्बन्धित। (चतुर्थ प्रतिवेदन) |
| 133 | 16 सितम्बर, 2013 | उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का पंचम प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण से सम्बन्धित। (पंचम प्रतिवेदन) |

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
134	16 सितम्बर, 2013	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (षष्ठम् प्रतिवेदन)
135	24 फरवरी, 2014	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का सप्तम् प्रतिवेदन जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (सप्तम् प्रतिवेदन)
136	20 जून, 2014	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का अष्टम् प्रतिवेदन जो लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (अष्टम् प्रतिवेदन)
137	20 जून, 2014	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का नवम् प्रतिवेदन जो उद्यान विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (नवम् प्रतिवेदन)
138	18 नवम्बर, 2014	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का दशम् प्रतिवेदन जो नियोजन एवं राज्य योजना आयोग विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (दशम् प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
139	18 नवम्बर, 2014	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का ग्यारहवां प्रतिवेदन जो पर्यटन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (ग्यारहवां प्रतिवेदन)
140	17 मार्च, 2015	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का बारहवां प्रतिवेदन जो खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (बारहवां प्रतिवेदन)
141	17 मार्च, 2015	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2013-2014) का तेरहवां प्रतिवेदन जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित।। (तेरहवां प्रतिवेदन)
142	18 अगस्त, 2015	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015-2016) का चौदहवां प्रतिवेदन जो महिला कल्याण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (चौदहवां प्रतिवेदन)
143	18 अगस्त, 2015	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2015-2016) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन जो उच्च शिक्षा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (पन्द्रहवां प्रतिवेदन)

क्र०सं०	प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने की तिथि	विषय
144	16 फरवरी, 2016	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्राक्कलन समिति (2015-2016) का सोलहवां प्रतिवेदन जो लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (सोलहवां प्रतिवेदन)
145	16 फरवरी, 2016	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्राक्कलन समिति (2015-2016) का सत्रहवां प्रतिवेदन जो परिवहन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009-2010, 2010-2011 तथा 2011-2012 के परीक्षण से सम्बन्धित। (सत्रहवां प्रतिवेदन)
146	22 दिसम्बर, 2016	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्राक्कलन समिति (2015-2016) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के परीक्षण से सम्बन्धित। (अट्ठारहवां प्रतिवेदन)
147	22 दिसम्बर, 2016	उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्राक्कलन समिति (2015-2016) का उन्नीसवां प्रतिवेदन जो गृह विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के परीक्षण से सम्बन्धित। (उन्नीसवां प्रतिवेदन)